ायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
ासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
रण संख्या :– 133/2024
द पत्र अं0 धारा 88/53 आर.टी.ए.

जकरण सिंह पुत्र बलकरण सिंह जाति जटसिख साकिन मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला ुमानगढ़ (राज.) –वादी

बनाम

1. नायब सिंह पुत्र हकीक सिंह
2. जसविन्द्र कौर पत्नी नायब सिंह
3. हरचन्द सिंह पुत्र हकीक सिंह
4. करणवीर सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह
5. बलविन्द्रसिंह उर्फ गुरवेन्द्रसिंह पुत्र हरचन्दसिंह
6. सुखदेव कौर पत्नी गुरदेव सिंह
7. सुखवीर कौर पुत्री गुरदेव सिंह
8. सर्वजीत कौर पत्नी बलकरण सिंह
9. बलजिन्द्र सिंह पुत्र हरचन्द सिंह
10. लखवीर सिंह पुत्र नायबसिंह
11. गुरतेज सिंह पुत्र हकीक सिंह
12. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

समस्त जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ राज.

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री सन्तोष गोदारा –वकील वादीगण
2. श्री सुभाष लिम्बा –वकील प्रति 1 व 11

निर्णय **दिनांक :–** 7-6-2024

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार कि तहसील संगरिया के चक नं.10 एम.जे.डी. खा.नं.172/122 एवं इसी चक के खाता सं.44/29एवं इसी चक के खाता सं.30/22 एवं इसी चक के खाता सं. 173/49 तथा चक.नं.5डी.एल.पी. के खाता सं.37/18 एवं इसी चक के खाता 48/27 तथा चक नं.11 एम.जे.डी. खाता सं. 100/10तथा चक नं. 7 डी.एल.पी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं.9/40 में दर्ज समस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं.1ता11 के संयुक्त हिन्दु परिवार की संयुक्त आय से अर्जित सहदायिकी कृषि भूमि है। कि वादी एवं प्रतिवादी सं.1ता11 संयुक्त हिन्दू परिवार के साथ ही पारिवारिक सौहार्द बनाये रखने एवं आपसी रजामन्दी से वादी को प्राप्त चक.नं.10 एम.जे.डी. के खाता सं.172/122 में1.771 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। जो निम्न प्रकार है –

(क) चक नं. 10 एम.जे.डी. खाता सं. 172/122

पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
146/184	55	3/2/0.126, 8,13,18,23/0.253 है.प्र.
147/184	54	19/2/0.127, 21,22/0.253 है.प्र.

चक नं. 10 एम.जे.डी. खाता सं. 30/20

पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
146/185	64	2/1/0.228, 2/2/0.025 गै.मु.खा. 3. 8/0.253 है.प्र., 9/1/0.253 है. 9/2/0.025 गै.मु.खाला

कुल 2.808 है. मय गै.मु. कृषि भूमि। कि वाद पत्र की चरण सं. 3(क) [illegible] षि भूमि जो कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं [illegible] है। [illegible] चरण सं.3(क) के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा [illegible]सार ही खाता वि[illegible] करवा रकमराज अलग करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। कि चक नं. 1[illegible] के खाता सं.10[illegible] में वादी का 1/12 हिस्सा तथा चक नं.5 डी.एल.पी. के खा.सं.37/18 में 1/9 [illegible] सं. 49/40 में 1/9 हिस्सा तहसील हनुमानगढ़ से हिस्सा हटाया जावे अर्थात उक्त तीनों खातों से व[illegible]का नाम कलमजन कर वादपत्र की चरण सं.3(क) में वर्णितानुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। कि वाद पत्र की चरण सं.3(क) में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण से वाद पत्र की चरण सं.3(क) के अनुसार खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण कि प्रतिवादी सं. 1 ता 11 को उक्त कृषि भुमि में विरासतन तौर पर कानूनी

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 17:45:27
Reason: SelfAttested

...कारी होने के कारण, प्रतिवादी सं. 12 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। कि वाद पत्र ...य न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। ... वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया ... कि कि घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि वाद पत्र की चरण सं.3(क)में वर्णितानुसार डिक्री किया ...कर रकमराज अलग से कायम की जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। चक नं. 11 ...जे.डी. के खाता सं. 100/10 में वादी का 1/12 हिस्सा तथा चक नं. 5 डी.एल.पी. के खाता सं. 37/18 ...1/9 तथा चक नं. 7 डी.एल.पी. खाता सं. 49/40 में 1/9 हिस्सा तहसील हनुमानगढ़ से हिस्सा हटाया ...वे अर्थात उक्त तीनों खातों से वादी का नाम कलमजन किया जाकर चक नं. 10 एम.जे.डी. के खाता सं. ...2/122 एवं खाता सं. 30/22 में 2.808 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज ...जिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एव प्रतिवादी सख्या 1 ता 11 ...जरिये अधिवक्ता राजीनामा प्रस्तुत किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 की ओर ... जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण और प्रतिवादीगण साक्ष्य पेश नही करना ...हते है इसलिए साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादीगण बन्द किये गये।

वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई व बहस वकील उभयपक्ष ...नी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता ...1 सह–काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 घरू बंटवारा में अच्छी मंदी के अनुसार बंटवारा ...र वाद पत्र में राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामा अनुसार कृषि भूमि प्राप्त कर रहे है। वाद पत्र का कोई ...रोध नही है। अतः वाद पत्र में प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक डिक्री किया जाकर राजस्व रिकार्ड में खाता ...लग कायम कर रकमराज अलग कायम करने का आदेश देवे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के अधिवक्ता ने ...जीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री करने पर अपनी सहमति दौराने बहस दी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ...चक 10 एमजेडी खाता संख्या 172/122, इसी चक के खाता संख्या 44/29, इसी चक के खाता ...ख्या 30/22, इसी चक खाता 173/49 व चक 5 डीएलपी के खाता संख्या 37/18, 48/27 एवं चक नं. ...1 एमजेडी खाता संख्या 100/10 तथा चक नं. 7 डीएलपी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 49/40 ... वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम से सांझा खाता में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ...श्नगत आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज होकर काश्त ...कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने वादी के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए राजीनामा, जवाब दावा मय ...काउन्टर क्लेम पेश किया है। वाद पत्र व प्रतिदावा का कोई विरोध न्यायालय के समक्ष पेश नही हुआ है। इसलिए वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :–

1. वादी राजकरण सिंह के हक हिस्सा में प्राप्त भूमि :–

(क) चक नं. 10 एम.जे.डी. खाता सं. 172/122

पं.नं.	मुं.नं.	कि.नं.
146/184	55	3/2/0.126, 8,13,18,23/0.253 है.प्र.
147/184	54	19/2/0.127, 21,22/0.253 है.प्र. कुल 1.171

चक नं. 10 एम.जे.डी. खाता सं. 30/20

पं.नं.	मुं.नं.	कि.नं.
146/185	64	2/1/0.228, 2/2/0.025 गै.मु.खा. 3, 8/0.253 है.प्र., 9/1/0.253 है. 9/2/0.025 गै.मु.खाला कुल 2.808 है. मय गै.मु. कृषि भूमि।

(ख) चक नं. 5 डी.एल.पी. के खाता सं. 37/18 में 0.228 है. एवं खाता सं. 48/27 में 1.265 है. भूमि प्रतिवादी सं. 5 बलविन्द्र सिंह के हक वा हिस्सा में प्राप्त हुई जो निम्न प्रकार है :–

पं.नं.	मुं.नं.	कि.नं.
141/190	29	11,12,13,18,19/0.253 है.प्र.
141/191	44	20/0.228 है.कुल 1.493 है. नहरी कृषि भूमि।

(ग) चक नं. 7 डी.एल.पी. खाता सं. 49/40 में दर्ज कुल 3.632 है. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 4 [illegible] सिंह को प्राप्त हुई जो निम्न प्रकार है :–

पं.नं.	मुं.नं.	कि.नं.
140/190	57	14/0.253, 16/1/0.228 है. 16/2/0.025गै.मु.रास्ता,17,24/0.253 है.प्र. 25/1/0.228, 25/2/0.025 गै.मु.रास्ता,
140/191	58	3,4/0.253 है.प्र. 5/1/0.228 है. 5/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 6/1/0.228 है.

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rake[illegible]
Meena
Date: 2024.06.18 17:45
Reason: SelfAttested

6/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 7,8/0.253है.प्र.
13/0.190 है. 14/0.253 है.
15/1/0.228 है. 15/2/0.025 गै.मु.रास्ता,
16/1/0.114 है. 16/2/0.014 गै.मु.रास्ता, 17/0.025
कुल 3.632 है.मय गै.मु.।

प्रतिवादी सं. 3 हरचंद सिंह को प्राप्त हुई कृषि भूमि :–
चक 10 एमजेडी खाता संख्याा 172/122, 30/20, 173/49

पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
144/180	33	21,22/0.253 है.प्र. कुल 0.506 है.।
144/180	33	1,2/0.253 है.प्र. कुल 0.506 है.।
144/180	33	9,10,12/0.253 है.प्र. कुल 0.759 है.।

चक 11 एमजेडी खाता संख्याा 100/10

पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
141/181	38	22/0.253 है.
141/182	39	1,2,3,4/0.253 है.प्र. कुल 1.012 है.।
		5/1/0.228 है. 6/1/0.228 है.
		7,8,9,10/0.253 है.प्र.
		कुल 2.733 है. नहरी मय गै.मु.।

(ङ) चक नं. 10 एम.जे.डी. के खाता सं. 172/122 में 0.885 है. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 नायब सिंह को प्राप्त हुई जो निम्न प्रकार है :–

पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
146/183	52	23,24/0.253 है.प्र.
146/184	55	3/0.126, 4/0.253 है.
		कुल 0.885 है. नहरी कृषि भूमि।

च) चक नं. 10 एम.जे.डी. के खाता सं. 44/29 में दर्ज 2.277 है. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 2 जसविन्द्र कौर को प्राप्त हुई जो निम्न प्रकार है :–

पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
147/181	41	14/0.253, 16/1/0.215, 16/2/0.038गै.मु.रा
		17,24/0.253 है.प्रत्येक
		25/1/0.215, 25/2/0.038है.गै.ुरा
		4/0.253, 5/1/0.215,
147/182	42	5/2/0.038 गै.मु.रास्ता
		6/1/0.215, 6/2/0.038 गै.मु.रास्ता
		7/0.253, 15/1/0.215,
		15/2/0.038 गै.मु.रास्ता कुल 2.277 है. मय गै.मु. कृषि भूमि।

अतः उक्तनुसार कृषि भूमि का वादी/प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा इस निर्णय का भाग रहेगा।

बाबत......X......खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी निज......X......मुब्लिक......X......को अदा करे।
सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक......X......को ......यायालय
बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 7.6.2024
जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.06.18 17:45:27 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– **राकेश कुमार मीना** (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 133/2024

वाद पत्र अं.धारा :– 88/53 आरटीए

राजकरण सिंह पुत्र बलकरण सिंह जाति जटसिख साकिन मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादी

बनाम

1. नायब सिंह पुत्र हकीक सिंह
2. जसविन्द्र कौर पत्नी नायब सिंह
3. हरचन्द सिंह पुत्र हकीक सिंह
4. करणवीर सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह
5. बलविन्द्रसिंह उर्फ गुरवेन्द्रसिंह पुत्र हरचन्दसिंह
6. सुखदेव कौर पत्नी गुरदेव सिंह
7. सुखवीर कौर पुत्री गुरदेव सिंह
8. सर्वजीत कौर पत्नी बलकरण सिंह
9. बलजिन्द्र सिंह पुत्र हरचन्द सिंह
10. लखवीर सिंह पुत्र नायबसिंह
11. गुरतेज सिंह पुत्र हकीक सिंह

(क्रमांक 1 से 11) समस्त जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.

12. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

दिनांक :– 07/06/2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सन्तोष गोदारा वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री सुभाष लिम्बा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 11 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती :–

1. वादी राजकरण सिंह के हक हिस्सा में प्राप्त भूमि :–

(क) चक नं. 10 एम.जे.डी. खाता सं. 172/122

पं.नं.	मुं.नं.	कि.नं.
146/184	55	3/2/0.126, 8,13,18,23/0.253 है.प्र.
147/184	54	19/2/0.127, 21,22/0.253 है.प्र. कुल 1.171

चक नं. 10 एम.जे.डी. खाता सं. 30/20

पं.नं.	मुं.नं.	कि.नं.
146/185	64	2/1/0.228, 2/2/0.025 गै.मु.खाला 3, 8/0.253 है.प्र., 9/1/0.253 है. 9/2/0.025 गै.मु.खाला कुल 2.808 है. मय गै.मु. कृषि भूमि।

(ख) चक नं. 5 डी.एल.पी. के खाता सं. 37/18 में 0.228 है. एवं खाता सं. 48/27 में 1.265 है. भूमि प्रतिवादी सं. 5 बलविन्द्र सिंह के हक वा हिस्सा में प्राप्त हुई जो [illegible] प्रकार है :–

पं.नं.	मुं.नं.	कि.नं.
141/190	29	11,12,13,18,19/0.253 है.प्र.
141/191	44	20/0.228 है.कुल 1.493 है. नहरी कृषि भूमि।

(ग) चक नं. 7 डी.एल.पी. खाता सं. 49/40 में दर्ज कुल 3.632 है. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 4 करणवीर सिंह को प्राप्त हुई जो निम्न प्रकार है :–

पं.नं.	मुं.नं.	कि.नं.
140/190	57	14/0.253, 16/1/0.228 है.

सहा[illegible] कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 17:45:27
Reason: SelfAttested

140/191	58	16/2/0.025गै.मु.रास्ता,17,24/0.253 है.प्र. 25/1/0.228, 25/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 3,4/0.253 है.प्र. 5/1/0.228 है. 5/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 6/1/0.228 है. 6/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 7,8/0.253है.प्र. 13/0.190 है. 14/0.253 है. 15/1/0.228 है. 15/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 16/1/0.114 है. 16/2/0.014 गै.मु.रास्ता, 17/0.025 कुल 3.632 है.मय गै.मु.।

प्रतिवादी सं. 3 हरचंद सिंह को प्राप्त हुई कृषि भूमि :–

चक 10 एमजेडी खाता संख्याा 172/122, 30/20, 173/49

पं.नं.	मुं.नं.	कि.नं.
144/180	33	21,22/0.253 है.प्र. कुल 0.506 है.।
144/180	33	1,2/0.253 है.प्र. कुल 0.506 है.।
144/180	33	9,10,12/0.253 है.प्र. कुल 0.759 है.।

चक 11 एमजेडी खाता संख्याा 100/10

पं.नं.	मुं.नं.	कि.नं.
141/181	38	22/0.253 है.
141/182	39	1,2,3,4/0.253 है.प्र. कुल 1.012 है.। 5/1/0.228 है. 6/1/0.228 है. 7,8,9,10/0.253 है.प्र. कुल 2.733 है. नहरी मय गै.मु.।

चक नं. 10 एम.जे.डी. के खाता सं. 172/122 में 0.885 है. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 नायब सिंह को प्राप्त हुई जो निम्न प्रकार है :–

पं.नं.	मुं.नं.	कि.नं.
146/183	52	23,24/0.253 है.प्र.
146/184	55	3/0.126, 4/0.253 है. कुल 0.885 है. नहरी कृषि भूमि।

(च) चक नं. 10 एम.जे.डी. के खाता सं. 44/29 में दर्ज 2.277 है. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 2 जसविन्द्र कौर को प्राप्त हुई जो निम्न प्रकार है :–

पं.नं.	मुं.नं.	कि.नं.
147/181	41	14/0.253, 16/1/0.215, 16/2/0.038गै.मु.रा 17,24/0.253 है.प्रत्येक 25/1/0.215, 25/2/0.038है.गै.ुरा
147/182	42	4/0.253, 5/1/0.215, 5/2/0.038 गै.मु.रास्ता 6/1/0.215, 6/2/0.038 गै.मु.रास्ता 7/0.253, 15/1/0.215, 15/2/0.038 गै.मु.रास्ता कुल 2.277 है. मय गै.मु. कृषि भूमि।

उक्तनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। राजीनामा इस डिक्री का भाग रहेगा।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे ... अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज....X....नल..........X.मुब्लिक....X....निल.....X....बाबत्.....X....निल/100/... खर्चा मुकदमे के मय सूद पर शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक...X.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक....07-6-2024.........को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakes
Meena
Date: 2024.06.18 17:45:2
Reason: SelfAttested